


निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/115

दिनांक 24.12.12


विज्ञप्ति

इस विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक: एफ23(45)लेखा /निकाशि/मुउशिछायो/ 2012-13/1209-20 दिनांक: 12-11-2012 से पूर्व में "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना-2012" के आवेदन पत्र महाविद्यालयों में प्राप्ति की तिथि 31.12.2012 के स्थान पर दिनांक: 28 फरवरी, 2013 तक बढ़ाई जाती है । निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होंगे ।


(नेवीन जैन)
निदेशक
दिनांक

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ।
6. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में राजस्थान के समस्त संस्करणों में निशुल्क प्रकाशित कराने का श्रम करें । इस हेतु विज्ञप्ति की पांच प्रतियां संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।
8. समस्त नोडल अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करें तथा बजट आवंटन हेतु दिनांक: 04-03-2013 तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर निदेशालय को आवश्यक रूप से अवगत करायें जिससे बजट आवंटन किया जा सके ।
9. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करते हुए दिनांक: 02-03-2013 तक संबंधित जिला नॉडल अधिकारियों को भिजवाना सुनिश्चित करें ।
10. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


(डॉ. सी.एम. खटीक)

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा राज0, जयपुर